सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

**अपील संख्याः 240/15** **निर्णय दिनांकः– 3.04.2018**

1. मोहनराम
2. पदमाराम
3. प्रेमाराम
4. लिछीराम
5. गोमी
6. रामी

पिसरान किशनाराम जाति जाट निवासी पांचू तहसील नोखा हाल चक 1 एमकेडी उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1, बीकानेर।

–अपीलांटस

**–बनाम–**

1. खेत सिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी बांगड़सर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्व आदेश दिनांक 08–06–2012**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत**

**उपस्थितः–**

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**–निर्णय–**

**1.** अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 08–06–2012 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पिता की पत्रावली

पैण्डिग रहते हुए वादगत् भूमि बतौर स्माल पेच रेस्पोडेन्ट को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् के पिता को चक 1 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 236/5 व 216/44 के कुल 33.08 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित है। अपीलांट्स के पिता द्वारा उक्त भूमि के चिपते मुरब्बा नम्बर 236/6 में 8.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि के स्मालपेच आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा था व उक्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि का चिपता काश्तकार नहीं था व अन्य ब्लॉक 216/62 में रेस्पोडेन्ट की भूमि पड़ती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कोई गौर किये बिना ही अपीलांट के प्रार्थना पत्र को दरकिनार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 08—06—2012 को वादगत् भूमि का आवंटन कर दिया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कोई वरियता/प्राथमिकता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि आराजी जैर के आवंटन अन्य कोई प्रार्थन पत्र जैरकार है अथवा नहीं? इस तथ्य पर कोइ गौर किये बिना कानून व न्याय को ताक पर रखकर वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट को आवंटित करने में कानूनी भूल की है।

उन्होंने आगे बताया कि जब अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र जैरकार था तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य था। आवंटन नियमों में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि यदि भूमि आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदन है

तो ऐसी स्थिति में भूमि का आवंटन सीलबीड तरीके से किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके अदालत मातहत द्वारा राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुॅचाया है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08—06—2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन कर दिया गया तत्पश्चात् अपीलांट्स के पिता के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 17—09—2012 को वादगत् भूमि का आवंटन कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही आवंटन नियमों के विपरीत होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

उन्होंने मिंयाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

**4.** रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन अपीलांट के आवंटन के पूर्व किया गया है। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट का आवंटन दिनांक 18—09—2012 को हुआ है व रेस्पोडेन्ट का आवंटन दिनांक 08—06—2012 को है। इस प्रकार अपीलांट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन होने से अपीलाधीन आदेश के दिन उक्त भूमि से अपीलांट का कोई हक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं रहा है। जब रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन पूर्व में किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलांट का आवंटन काबिल निरस्त है। जब आराजी जैर आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को कैसे आवंटित की जा सकती थी। अदालत मातहत को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व इस स्थिति की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर पूर्व में आवंटनशुदा भूमि है अथवा नहीं? इसमें रेस्पोडेन्ट की कोई गलती नहीं है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है व आराजी

जैर पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवंटन की तमाम प्रकियाऍं पूर्ण हो चुकी है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट को अपील की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। चूंकि रेस्पोडेन्ट को दिनांक 08—06—2012 को आवंटन किया गया था, जबकि अपीलांट का आवंटन 17—09—2012 का है। अतः अपीलाधीन आदेश के समय अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं था। अपीलांट अपने से पूर्ववर्ती आवंटन को निरस्त कराने की इस्तदुआ लेकर आया है। जबकि उक्त दिनांक को उसके कोई हित प्रभावित नहीं हो रहे थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील लोकर स्टेण्डाई पर खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 1 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 236/6 में 8.16 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 08—06—172 को बतौर स्माल पेच के तहत किया गया था। तत्पश्चात् उक्त आराजी का आवंटन अपीलांट को स्मालपेच के तहत दिंनांक 17—09—2012 को किया गया है।

(2) हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट दोनों के द्वारा वादगत् भूमि चक 1 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 236/6 में 8.16 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर रखे थे।

(3) पत्रावली पर चक 1 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 236/6 में 8.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि का स्मालपेच में आवंटन रेस्पोडेन्ट को किये जाने की पत्रावली उपलब्ध है। जिस पर पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट के साथ—साथ अन्य चिपते काश्तकारों क्रमशः मिठूराम, खेत सिंह, फकीराराम व हंसराज की वरियता का निर्धारण करते हुए प्राथमिकता तय

की गई। अदालत मातहत द्वारा तत्समय अर्थात रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन के समय न तो चिपते अर्थात वरियता में अंकित काश्तकारों को कोई नोटिस जारी किया गया व ना ही अपीलांट जिसका की वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र जैरकार था, को कोई नोटिस व सूचना प्रदान की गई।

(4) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन इस आधार पर किया गया है कि आवेदित रकबा स्वयं आवेदक के चिपते मुरब्बें में स्थित है, अन्य किसी का प्रार्थना पत्र नहीं है नाही अन्य का कोई हक है प्रथम वरियता आवेदक स्वयं की है, रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि आराजीराज है विवादित नहीं है, जोहड़पायतान्, अनिवार्य वन—पट्टी, आबादी, नर्सरी एवं मण्डी से 8 कि.मी. की परिधी में नहीं है। अतः राजस्थान उपनिवेशन आवंटन एवं विक्रय नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में किया गया।

(5) तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा इसी वादगत् भूमि चक 1 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 236/6 में 8.16 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट के हक में दिनांक 17—09—2012 को कर दिया गया। दोनों ही परिस्थितियों में आवेदकों द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(6) प्रकरण में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्थिति उभर कर सामने आती है कि यह तथ्य पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार के ध्यान में आना आवश्यक था, ऐसे आवंटन विभागीय लापरवाही के बिना संभव नहीं है। साथ ही प्रकरण में यह प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्ष वस्तुस्थिति को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से बच रहे है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा स्वयं को किये आवंटन की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की है।

(7) अतः उक्त अपील के संबंध में हमारा अभिमत है कि अदालत मातहत द्वारा किये गये दोनों आवंटन, आवंटन नियमों की पालना किये बिना अर्थात चिपते काश्तकारों को नोटिस दिये बिना व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अलग–अलग तारीख पेशियों पर किये गये है। जबकि वादगत् भूमि अपीलांट/रेस्पोडेन्ट दोनों के ही मुरब्बें में निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस देकर जरिये निलामी आवंटन किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके अदालत मातहत द्वारा राजहित का नुकसान करते हुए राज्य सरकार को भी आर्थिक नुकसान पहुॅचाया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के किये गये आवंटन आवंटन नियमों के विपरीत होने से पुष्टि योग्य नहीं माने जा सकते।

7. अतः बिन्दु सिंह 6 के मद संख्या 1 से 7 में वणिर्त विवेचना के आधार पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन दिनांक 08–06–2012 व अपीलांट के आवंटन दिनांक 17–09–2012 को निरस्त किये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादगत् भूमि का आवंटन सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस देकर नियमानुसार निलामी करते हुए आवंटन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 3.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर